संख्या-171/2019/2290/22-2-2019-17(999)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 29 नवम्बर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री सत्येन्द्र निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24539/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02.07.2019) दिनांक 08.08.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री सत्येन्द्र जो ग्राम-छपरावत, थाना-गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। बन्दी ने पुराने विवाद की रंजिश में दिनांक 18.07.2001 को समय अपराह्न् लगभग 12:00 बजे अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, रिवाल्वर एवं तमन्चे से वारकर बाबूराम सिंह, अमरवीर सिंह एवं मोमीन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1061/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147 148, 302/149, 307/149 व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-4), गाजियाबाद के आदेश दिनांक 10.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुराने विवाद की रंजिश में दिनांक 18.07.2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, रिवाल्वर एवं तमन्चे से वारकर 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री सत्येन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी प्रदीप (बन्दी संख्या-375/2016) पुत्र श्री सत्येन्द्र निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

संख्या-171/2019/2290(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-171/2019/2290/22-2-2019-17(999)/2019

दिनांक 29 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री सत्येन्द्र जो ग्राम-छपरावत, थाना-गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। बन्दी ने पुराने विवाद की रंजिश में दिनांक 18.07.2001 को समय अपराह्न् लगभग 12:00 बजे अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, रिवाल्वर एवं तमन्चे से वारकर बाबूराम सिंह, अमरवीर सिंह एवं मोमीन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 1061/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147 148, 302/149, 307/149 व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-4), गाजियाबाद के आदेश दिनांक 10.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुराने विवाद की रंजिश में दिनांक 18.07.2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, रिवाल्वर एवं तमन्चे से वारकर 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री सत्येन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in